न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2151-PBR/2013 विरूद्ध आदेश दिनाक 30–05–2013 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ग्यारसपुर जिला विदिशा के प्रकरण क्रमांक 1/अपील/2012–13

जगदीश सिंह पुत्र स्व0लक्ष्मनसिंह,
निवासी ग्राम बावलिया
तहसील गुलाबगंज जिला विदिशा

.... आवेदक

विरूद्ध

1–श्रीमती करूणा वर्मा पुत्री भैयालाल
पत्नी रामेश्वर वर्मा
निवासी फ्रीगंज शहीद पार्क के सामने
जिला उज्जैन म0प्र0
2– किरनसिंह पुत्र लक्ष्मन सिंह
3–श्रीमती रामबाई वेवा लक्ष्मन सिंह
4–प्रेमबाई बेवा भैयालाल
तीनों निवासीगण ग्राम बंडवा तहसील गुलाबगंज,
जिला विदिशा म0प्र0

.... अनावेदकगण

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक आवेदक
श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक अनावेदक क्र.1
एकपक्षीय अनावेदक क्र. 2, 3 व 4

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक .... को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ग्यारसपुर जिला विदिशा के प्रकरण क्रमाक 1/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 30–05–2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" का जावेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

केडिट कार्ड भी लिया इस बात की जानकारी अनावेदक कमांक 1 व उसकी मॉ को थी । अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात का भी ध्यान नहीं दिया कि विवादित आधारों पर जब नामान्तरण की कार्यवाही चल रही थी उस समय अनावेदिका कमांक 1 की मॉ ने तहसील न्यायालय मे कथन अंकित कराये जो आवेदक के पक्ष में थे । इस तथ्य को नजरअंदाज कर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह निरस्ती योग्य है । अंत मे आवेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया ।

4– अनावेदक कमांक 1 की ओर से अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को वैधानिक एवं विधिसंगत बताते हुये आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी को अभिलेख के आधार पर निरस्त करने का अनुरोध किया ।

5– मैंने प्रकरण मे उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया। प्रकरण में यह निर्विवादित है कि अनावेदिका कमांक 1 मृतक भैयालाल की पुत्री होकर तहसीलदार के समक्ष प्रकरण में आवश्यक पक्षकार थी । तहसीलदार के प्रकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि तहसीलदार ने उनको कोई सूचना नहीं दी तथा उनकी पीठ पीछे प्रथमदृष्टया उनके हितों के विपरीत आदेश पारित किया । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी ने उनकी समयबाह्य अपील को समयावधि में मान्य करने में कोई त्रुटि नही की है । आवेदक ने इस निगरानी में जो बिन्दु उठाये हैं उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में वह स्वीकार योग्य नही है । अतः निगरानी अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर.